न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

विविध अपील संख्या 59/2021

देवकी शर्मा पत्नि स्व0 अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी डोकनिया की हवेली, वार्ड नं0 15, सिंघाना, जिला झुंझुनूं।

— अपीलान्ट

बनाम

1. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं।
2. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सिंघाना, जिला झुंझुनूं।
3. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सिंघाना, पंचायत समिति सिंघाना, जिला झुंझुनूं।
4. हेमलता पत्नि विरेन्द्र, निवासी वार्ड नं0 9, ग्राम सिंघाना, जिला झुंझुनूं।

---- रेस्पोडेन्ट

अपील बखिलाफ आदेश बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सिंघाना।

1. देवकी शर्मा पत्नि स्व0 अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी डोकनिया की हवेली, वार्ड नं0 15, सिंघाना, जिला झुंझुनूं – स्वयं उपस्थित
2. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं– स्वयं उपस्थित
3. बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सिंघाना, जिला झुंझुनूं– अनुपस्थित
4. ग्राम पंचायत सिंघाना, पंचायत समिति सिंघाना, जिला झुंझुनूं–अनुपस्थित
5. हेमलता पत्नि विरेन्द्र, निवासी वार्ड नं0 9, ग्राम सिंघाना, जिला झुंझुनूं– अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :–20.09.2021

आदेश

अपीलान्ट देवकी शर्मा पत्नि स्व0 अशोक कुमार, जाति ब्राहमण, निवासी डोकनिया की हवेली, वार्ड नं0 15, सिंघाना, जिला झुंझुनूं ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सिंघाना वार्ड नं0 15 मे महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ता की विज्ञप्ति पंचायत समिति सिंघाना महिला बाल विकास विभाग, सिंघाना मे जारी की गई जिसमे काफी महिलाओं ने कार्यकर्ता के पद पर आवेदन किया। अपीलान्ट देवकी शर्मा पत्नि स्व0 अशोक कुमार जाति ब्राहमण निवासी डोकनिया की हवेली, वार्ड नं0 15 सिंघाना, पंचायत समिति सिंघाना, जिला झुंझूनू के द्वारा कार्यकर्ता के पद पर दिनांक 20.07.2021 को आवेदन किया जिसके पश्चात् श्रीमान् महिला एवं बाल विकास अधिकारी बुहाना के द्वारा उनके मार्कस दिये गये जिसमे अपीलान्ट के 7 अंक आये जिसमे भी महिला बाल विकास अधिकारी के द्वारा खादय सुरक्षा मे अपीलान्ट के होने के बावजूद 1 अंक को नजरअंदाज कर दिया जबकि अपीलान्ट के 8 अंक आने थे। महिला एंव बाल विकास विभाग की निर्देशिका मे स्पष्ट लिखा है इसके बावजूद भी अपीलान्ट को 1 अंक कम दिया उसे अपीलान्ट को 1 अंक बढा कर 8 अंक किया जावे। अपीलान्ट के वार्ड नं0 15 मे आंगनबाडी के कार्यकर्ता के पद पर विज्ञप्ति जारी की गई एवं आंगनबाडी की महिला एवं बाल विकास विभाग की निर्देशिका मे स्पष्ट लिखा गया है कि रिक्त पद के लिए उसी वार्ड की महिला का होना जरूरी है। अगर किसी कारणवंश उस वार्ड मे महिला उपस्थित या आवेदन नही आये तो अन्य वार्ड की महिला को लिया जा सकता है जो अन्य वार्ड की हो सकती है। लेकिन अपीलान्ट ने वार्ड नं0 15 मे आवेदन किया था तथा

अपीलान्ट उसी वार्ड नं0 15 की विधवा महिला है जिसने उसी दिन वार्ड मे आवेदन भी किया है जिसके सही मार्कस 8 आने है उस वार्ड मे अपीलान्ट का ही चयन होना है। लेकिन महिला एवं बाल विकास अधिकारी के द्वारा सही चयन नही किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की निर्देशिका को नजरअंदाज किया है। उक्त आंगनबाडी केन्द्र वार्ड नं0 15 सिंघाना मे रिक्त पद पर अधिकारियों ने महिला एवं बाल विकास विभाग की निर्देशिका को नजरअंदाज करते हुए वार्ड नं0 9 की हेमलता पत्नि विरेन्द्र जो वार्ड नं0 9 मे सहायिका के रूप मे कार्यरत थी ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों से मेलजोल एवं सिफारिशों के कारण 15 अगस्त 2021 को आंगनबाडी कार्यकर्ता के रूप मे ग्राम सभा मे अनुमोदन करवा लिया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट विधवा महिला है एवं जिस वार्ड मे विज्ञप्ति जारी हुई है उसी वार्ड की महिला है की नियमानुसार ग्राम सिंघाना के वार्ड नं0 15 के आंगनबाडी कार्यकता के रिक्त पद पर नियुक्ति करने की कृपा करे।

अपील के बाबत उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट्स को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं ने अपने पत्रांक 1534 दिनांक 10.09.2021 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम पंचायत सिंघाना के आंगनबाडी केन्द्र सिंघाना–7 पर आंगनबाडी कार्यकर्ता पद के लिए 06.07.2021 को उप निदेशक कार्यालय द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी। विज्ञप्ति के अनुसार व विभागीय नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र मे आंगनबाडी केन्द्र के लिए वार्डो का प्रावधान नही है। आवेदन करने के लिए उसी राजस्व गांव की निवासी होना चाहिए जबकि चयनित रेस्पोडेन्ट हेमलता सिंघाना राजस्व ग्राम की निवासी है। आंगनबाडी कार्यकर्ता सिंघाना–7 के पद के लिए ग्राम सिंघाना से कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए जिनमे श्रीमती देवकी शर्मा पत्नि अशोक कुमार का भी आवेदन प्राप्त हुआ अपीलान्ट के अनुसार श्रीमती देवकी शर्मा को कलु 7 भारांकन प्राप्त हुए। भारांकन सूची के अनुसार अपीलान्ट ने उल्लेख किया है कि (NFSA) खाद्य सुरक्षा का भारांक नही दिया गया जबकि आवेदन के साथ (NFSA) खाद्य सुरक्षा का कोई प्रमाण पत्र सलंग्न नही किया जबकि राशन कार्ड के (बारकोड) स्पष्ट प्रदर्शित नही हो रहे थे। इस कारण राशन कार्ड (बारकोड) के आधार पर (NFSA) खाद्य सुरक्षा का लाभ नही दिया। यदि अपीलान्ट को (NFSA) खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाता है तो भी अपीलान्ट को कुल 8 भारांक बनते है जबकि चयन–10 भारांकन वाले का है। चयन लाभार्थी को भारांकन सूची के अनुसार 10 अंक प्राप्त हुए है जो प्राप्त आवेदनों मे सर्वाधिक है। इस कारण श्रीमती हेमलता पत्नि विजेन्द्र का चयन हुआ है। अपीलान्ट द्वारा चयन प्रकिया मे जो आरोप लगाये गये है वो निराधार है। चयन प्रक्रिया विभागीय नियमानुसार व पारदर्शिता से की गई है। कार्यालय द्वारा भारांकन के आधार पर सर्वाधिक भारांक वाले आवेदक का चयन कर अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायत सिंघाना को भिजवाया गया था जो ग्राम पंचायत सिंघाना द्वारा दिनांक 15.08.2021 की ग्राम सभा मे प्रस्ताव संख्या 5 दिनांक 15.08.2021 के द्वारा सर्व सहमति से ग्राम सभा मे अनुमोदन कर कार्यालय को भिजवाया गया है। ग्राम पंचायत सिंघाना को भी चयन व भारांकन मे कोई आपित्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

अपीलान्ट देवकी शर्मा, रेस्पोडेन्ट हेमलता एवं विभागीय प्रतिनिधि सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित। बहस सुनी गई। अपीलान्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये कथन किया कि आंगनबाडी केन्द्र सं0 7 वार्ड नं0 15 सिंघाना के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन सूची बनाते समय उसे (NFSA) खाद्य सुरक्षा का 1 अंक प्रदान नही किया गया है। यदि उसे उक्त (NFSA) खाद्य सुरक्षा का 1 अंक दिया जाता तो अपीलान्ट का चयन हो जाता। इस प्रकार मुझे (NFSA) खाद्य सुरक्षा के क अंक से वंचित कर रेस्पोडेन्ट हेमलता का गलत चयन किया गया है। अतः रेस्पोडेन्ट हेमलता का चयन निरस्त कर अपीलान्ट का चयन आंगनबाडी केन्द्र सं0 7 वार्ड नं0 15 सिंघाना के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर किया जावे।

विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि आंगनबाडी कार्यकर्ता सिंघाना–7 के पद के लिए ग्राम सिंघाना से कुल 40 आवेदन प्राप्त हुए जिनमे श्रीमती देवकी शर्मा पत्नि अशोक कुमार का भी आवेदन प्राप्त हुआ अपीलान्ट के अनुसार श्रीमती देवकी शर्मा को कुल 7

(स्नातक के 2, सामान्य जाति के 1, आरएससीआईटी के 1, विधवा के 3 अंक) भारांकन प्राप्त हुए। भारांकन सूची के अनुसार अपीलान्ट ने उल्लेख किया है कि (NFSA) खाद्य सुरक्षा का भारांक नही दिया गया जबकि आवेदन के साथ (NFSA) खाद्य सुरक्षा का कोई प्रमाण पत्र सलंग्न नही किया जबकि राशन कार्ड के (बारकोड) स्पष्ट प्रदर्शित नही हो रहे थे। इस कारण राशन कार्ड (बारकोड) के आधार पर (NFSA) खाद्य सुरक्षा का लाभ नही दिया। यदि अपीलान्ट को (NFSA) खाद्य सुरक्षा का लाभ दिया जाता है तो भी अपीलान्ट को कुल 8 भारांक बनते है जबकि चयन–10 भारांकन वाले का है। चयन लाभार्थी को भारांकन सूची के अनुसार 10 अंक (स्नातकोतर के 3, ओबीसी जाति के 2, आरएससीआईटी के 1, अनुभव पगमाण पत्र के 3 अंक एवं खाद्य सुरक्षा का 1 अंक) प्राप्त हुए है जो प्राप्त आवेदनों मे सर्वाधिक है। इस कारण श्रीमती हेमलता पत्नि विजेन्द्र का चयन हुआ है। अपीलान्ट द्वारा चयन प्रकिया मे जो आरोप लगाये गये है वो निराधार है। चयन प्रकिया विभागीय नियमानुसार व पारदर्शिता से की गई है। ग्राम पंचायत सिंघाना को भी चयन व भारांकन मे कोई आपित्त नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट हेमलता का चयन बहाल रखा जावे।

हमने बहस अपीलान्ट, विभागीय प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं रिपोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया। चूंकि आंगनबाडी केन्द्र स0 7 वार्ड नं0 15 सिंघाना के रिक्त पद आंगनबाडी कार्यकर्ता के पद पर चयन के समय अपीलान्ट को यदि (NFSA) खाद्य सुरक्षा का 1 अंक दे दिया जावे तो भी उसके कुल अंक 8 ही होते है जबकि चयनित रेस्पोडेन्ट हेमलता के अंक 10 है जो अपीलान्ट से अधिक है। अधिक अंक होने से रेस्पोडेन्ट हेमलता का चयन किया गया है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य नही है। अतः सारहीन होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, झुंझुनूं एवं बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, सिंघाना, जिला झुंझुनूं को पालनार्थ प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 20.09.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर,झुंझुनूं
20/09/21